

तारीख  
हुक्म

2018  
0034

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

न्यायालय  
उनव

8/5/18

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत के मय गद्दी में पेश हुई। पक्षकारान मय वकील उपस्थित वकील पक्षकारान को सुना गया एवं पत्रावली को अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी के खाता संख्या 2069-72 वड्डे ग्राम में अंशित आराजी का वकील खातेदार दर्ज रिपोर्ट है और प्रतिवादीगण को ब्यापार निषेधाज्ञा से पाबंद करना चाहता है। परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत इकरनामा की दायप्रति के अवलोकन से विवादिता आराजी को वकील के पिता जम्मन द्वारा बेचान किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में वकील को जमे अल्लोष को उप्त करने का अधिकारी नहीं है अतः दावा वकील सिद्ध नहीं होने एवं clean hand से प्रस्तुत नहीं करने के कारण खारिज है। अतः आदेश है कि दावा वकील अन्तर्गत धारा 188 R.T. Act बाध आ० ख० न० 1787 रुकवा 024 है।

वड्डे ग्राम गद्दी सिद्ध नहीं होने एवं clean hand से प्रस्तुत नहीं करने के कारण खारिज किया जाता है। पंच डिक्री पृथक् से जारी है। मिश्रल कुलल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तथील दाखिल दफ्तर है।

अध्यापक  
(उपखण्ड अधिकारी)  
राजस्व लोक अदालत  
थानागाजी (अलवर) राज०